—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 15/2025

उनवान

1. जीयाकवंर पत्नी उगमसिंह,
2. विष्णु कंवर, पति विकम सिंह उर्फ मान सिंह
3. सतवीर सिंह
4. नेहा कंवर,
5. आंचल कंवर पिता विकम सिंह उर्फ मान सिंह ना.बा. पुत्री जरियें माता विष्णु कंवर जाति राजपुत निवासी झडवासा नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. पुष्पाकवंर पत्नि कमलसिंह,
2. बलवीरसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,
3. मूरधरकंवर पुत्री सत्यनारायण सिंह,
4. श्योजी सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,
5. संतोष कंवर पत्नी सत्यनारायण सिंह
6. सूरजसिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह,
7. सुरेन्द्र सिंह पुत्र कमलसिंह नि0 झडवासा नसीराबाद
8. मैनेजर, यूनियन बैंक आफॅ इंडिया, भवानीखेडा
9. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

——प्रतिवादीगण :— 1 से 8 अनुपस्थित, 9 जरियें राज. पैरोकार

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

—: निर्णय :—

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त आवेदन पत्र [illegible] ग्राम झडवासा के खाता संख्या 35/28 किता 5 रकबा 2.39 की आराजी वादीगण व प्रतिव[illegible]ण की संयुक्त

—2

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

खातेदारी/काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 का नाम जिया कंवर के स्थान पर जीवण कंवर अंकित कर दिया है तथा वादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम मान सिंह के स्थान पर विक्रम सिंह अंकित कर दिया हे। उपरोक्त त्रुटि राजस्व अभिलेख में सहवन से हुयी है। उक्त त्रुटि दुरूस्त नही होने से नाना किस्म के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी संख्या 1 का नाम जिया कंवर व वादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम मान सिंह दर्ज करने के आदेश पारित करावे। इस आशय की आज्ञप्ति बहक वादी जारी की जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 आवजूद तामीली अनुपस्थित रहें राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादीगण के पहचान दस्तावेज पेश किये व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम झडवासा के खाता संख्या 35/28 किता 5 रकबा 2.39 की आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी/काश्तकारी की है। वादीगण का कथन है कि उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 का नाम जिया कंवर के स्थान पर जीवण कंवर अंकित कर दिया है तथा वादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति का नाम मान सिंह के स्थान पर विक्रम सिंह अंकित कर दिया हे। उपरोक्त त्रुटि राजस्व अभिलेख में सहवन से हुयी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेज यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, मतदाता परिचय पत्र, शजरा प्रमाण पत्र शपथ पत्र आदि में भी वादी संख्या 1 का नाम जिया कंवर व वादी संख्या 2 से 5 के पिता का नाम मान सिंह ही अंकित है। प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। राज. पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। उक्त त्रुटि दुरूस्त करने से राजहित प्रभावित नही होता है।

उक्तानुसार ग्राम झडवासा के खाता संख्या 35/28 किता 5 रकबा 2.39 की आराजी पर वादीगण का वाद पत्र इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी संख्या 1 जिया कंवर व वादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति मान यिंह के नाम की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्लाई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

जिया कंवर बनाम पुष्पा कंवर

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –15/2025
पेश करने की दिनांक –16.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम झडवासा के खाता संख्या 35/28 किता 5 रकबा 2.39 की आराजी पर वादीगण का वाद पत्र इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी संख्या 1 जिया कंवर व वादी संख्या 2 से 5 के पिता/पति मान सिंह के नाम की विस्तृत व गहनता से जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार नाम दुरूस्ती की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 30 माह 6 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:27:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद